NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 14-07-2025

विषय सूची

» पारंपरिक चिकित्सा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग का मानचित्रण
» केंद्र ने CAPFs में IPS प्रतिनियुक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की समीक्षा के लिए याचिका दायर की
» UGC की एंटी-रैगिंग प्रणाली पूरी तरह विफल: दिल्ली उच्च न्यायालय
» 'सामान्य निवासी' के रूप में कौन योग्य है?
» हरित क्रांति: इसकी विरासत और कृषि अनुसंधान एवं विकास में भारत की रणनीतिक भूमिका
» GST सुधार: गृह मंत्री दरों को युक्तिसंगत बनाने पर सामान्य सहमति के लिए वार्ता शुरू करेंगे
» पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 78% कोयला संयंत्रों को FGD सिस्टम लगाने से छूट

संक्षिप्त समाचार

» राज्यसभा के लिए नामांकन
» जारवा जनजाति
» विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB)
» प्राकृतिक रबर उत्पादन
» अभ्यास टैलिसमैन सेबर

पारंपरिक चिकित्सा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग का मानचित्रण

संदर्भ

- भारत, अपने समृद्ध आयुष प्रणाली (आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, सोवा रिग्पा और होम्योपैथी) के साथ, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा इन प्रणालियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के एकीकरण के लिए अग्रणी के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है।

पारंपरिक चिकित्सा क्या है?

- पारंपरिक चिकित्सा में ज्ञान, कौशल और प्रथाएं शामिल होती हैं जो देशज सिद्धांतों एवं अनुभवों पर आधारित होती हैं। इसमें वनस्पति, पशु और खनिज आधारित उपचार, आध्यात्मिक चिकित्सा और हस्त तकनीकें शामिल हैं, जिनका उद्देश्य स्वास्थ्य बनाए रखना या रोगों का उपचार करना होता है।

पारंपरिक चिकित्सा में एआई की भूमिका

- डायग्नोस्टिक्स को बढ़ाना: एआई-सक्षम प्रणालियां पारंपरिक निदान विधियों (नाड़ी परीक्षण, जीभ विश्लेषण, प्रकृति मूल्यांकन) को मशीन लर्निंग और डीप न्यूरल नेटवर्क्स से जोड़कर सटीकता बढ़ाती हैं तथा व्यक्तिगत देखभाल संभव बनाती हैं।
- आयुर्जीनोमिक्स: एआई जीनोमिक डेटा को आयुर्वेदिक सिद्धांतों से जोड़ता है ताकि रोग जोखिम चिह्नों की पहचान हो और स्वास्थ्य सिफारिशें दी जा सकें, जिससे वैयक्तिक चिकित्सा को बढ़ावा मिलता है।
- दवा खोज और सत्यापन: एआई हर्बल फॉर्मूलेशन के आणविक आधार का विश्लेषण करता है, दवाओं के पुन: उपयोग को समर्थन देता है और पारंपरिक प्रणालियों में तुलनात्मक अध्ययन को बढ़ावा देता है।
- ज्ञान का संरक्षण: एआई टूल्स प्राचीन ग्रंथों का सूचीकरण और अर्थगत विश्लेषण करने में मदद करते हैं, जिससे चिकित्सीय ज्ञान अधिक सुलभ होता है और जैव-चोरी से संरक्षण मिलता है।
- स्वास्थ्य प्रणाली प्रबंधन: एआई-सक्षम डिजिटल रिकॉर्ड्स और अस्पताल प्रबंधन प्रणालियां डेटा संग्रह, रोगी देखभाल और अनुसंधान को अनुकूलित करती हैं।

पारंपरिक चिकित्सा में एआई को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत की पहल

- आयुष ग्रिड: एक डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म जो नागरिक-केंद्रित पहलों को समर्थन देता है और आयुष प्रणालियों के डिजिटल परिवर्तन को सक्षम करता है।
- एआई-संचालित पोर्टल: SAHI पोर्टल, NAMASTE पोर्टल, और आयुष रिसर्च पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन परामर्श, शोध एवं चिकित्सकों में डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहित करते हैं।
- पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL): भारत की देशज चिकित्सा विरासत को संरक्षित और सुरक्षा प्रदान करने वाला एक वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त डिजिटल भंडार।
- नीतिगत नेतृत्व: भारत ने WHO की पारंपरिक चिकित्सा में एआई के लिए पहले वैश्विक रोडमैप का प्रस्ताव रखा और उसमें योगदान किया, जिससे "सभी के लिए एआई" की प्रतिबद्धता दिखाई देती है।

चुनौतियां

- डेटा की गुणवत्ता और मानकीकरण: पारंपरिक चिकित्सा में बड़े, विश्वसनीय और मानकीकृत डेटा सेटों की कमी एआई प्रशिक्षण एवं सत्यापन को बाधित करती है।
- डिजिटल अंतराल: सीमित डिजिटल संरचना और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों के बीच कम डिजिटल साक्षरता एआई को अपनाने में बाधा बनती है।
- जैव-चोरी और डेटा संप्रभुता: देशज ज्ञान और संसाधनों की बिना सहमति के अनुचित प्राप्ति का जोखिम।
  - डेटा गोपनीयता, सुरक्षा और संवेदनशील स्वास्थ्य संदर्भों में एआई के नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करना।
- मानवीय स्पर्श: पारंपरिक चिकित्सकों द्वारा प्रदत्त संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण देखभाल को एआई पूर्णतः नहीं दोहरा सकता।

आगे की राह

- डेटा शासन को मजबूत करें: डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने, देशज अधिकारों की रक्षा करने और डेटा संग्रह को मानकीकृत करने के लिए मजबूत रूपरेखाएं बनाएं।
- क्षमता निर्माण: डिजिटल साक्षरता और संरचना में निवेश करें ताकि डिजिटल अंतर को समाप्त किया जा सके।
- वैश्विक सहयोग: शोध, नीति और नैतिक मानकों के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दें।
- साक्ष्य-आधारित एकीकरण: पारंपरिक प्रथाओं को वैज्ञानिक शोध और एआई के माध्यम से लगातार सत्यापित करें ताकि सभी के लिए सुरक्षित, प्रभावी और सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित हो सके।

Source: PIB

केंद्र ने CAPFs में IPS प्रतिनियुक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की समीक्षा के लिए याचिका दायर की

संदर्भ

- केंद्र सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में प्रतिनियुक्ति को "क्रमिक रूप से कम" करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध एक पुनर्विचार याचिका दायर की है।

पृष्ठभूमि

- 2015 में, CAPFs के ग्रुप A अधिकारियों ने न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन (NFFU), कैडर समीक्षा, पुनर्गठन और भर्ती नियमों में बदलाव की मांग की थी ताकि IPS प्रतिनियुक्ति समाप्त की जा सके और वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (SAG) में आंतरिक पदोन्नति को सक्षम किया जा सके।
- **संजय प्रकाश एवं अन्य बनाम भारत सरकार, 2025** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि:
  - CAPFs के ग्रुप A अधिकारियों को सभी उद्देश्यों के लिए "संगठित सेवाएं" माना जाए।
  - CAPFs में IPS अधिकारियों की SAG पदों (अर्थात् इंस्पेक्टर जनरल तक) पर प्रतिनियुक्ति को दो वर्षों की अधिकतम सीमा के अंदर क्रमिक रूप से कम किया जाए।
- **निर्णय का उद्देश्य:** इस निर्णय का उद्देश्य CAPF कैडर अधिकारियों के लिए निष्पक्ष पदोन्नति सुनिश्चित करना और CAPFs में प्रतिनियुक्त IPS अधिकारियों के लंबे समय से चले आ रहे प्रभुत्व को समाप्त करना था।

CAPF का वर्तमान संगठनात्मक ढांचा

- CAPFs में सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), सशस्त्र सीमा बल (SSB), और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) शामिल हैं।
- गृह मंत्रालय IPS और CAPF अधिकारियों दोनों के लिए कैडर नियंत्रक प्राधिकरण है।
  - केंद्र ने यह तर्क दिया कि IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति बलों की परिचालन तत्परता बनाए रखने और केंद्र-राज्य समन्वय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
- आरक्षित सीटें: वर्तमान में CAPFs में उप महानिरीक्षक (DIG) पदों में 20% और महानिरीक्षक (IG) पदों में 50% IPS अधिकारियों के लिए आरक्षित हैं।
  - यदि निर्णय लागू होता है, तो CAPFs में IPS का प्रभुत्व काफी सीमा तक कम हो जाएगा।

CAPFs में IPS नियुक्तियों को लेकर चिंताएं

- पदोन्नति में ठहराव: वरिष्ठ पदों में IPS अधिकारियों के उच्च आरक्षण के कारण CAPF कैडर अधिकारियों को सीमित पदोन्नति अवसर मिलते हैं।
  - औसतन, एक CAPF अधिकारी को कमांडेंट पद तक पहुंचने में 25 वर्ष लगते हैं, जबकि यह पद उन्हें आदर्श रूप से 13 वर्षों में मिल जाना चाहिए।
- संगठनात्मक अखंडता का उल्लंघन: IPS अधिकारियों की निरंतर प्रतिनियुक्ति संस्थागत स्वायत्तता और CAPFs को एक विशिष्ट बल के रूप में पेशेवर बनाने की दीर्घकालिक प्रक्रिया को बाधित करती है।

- कानूनी और प्रशासनिक प्रभाव: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा CAPF ग्रुप A सेवाओं को "संगठित सेवाएं" के रूप में मान्यता देने का अर्थ है कि सरकार को कैडर समीक्षा करनी होगी, भर्ती नियमों में संशोधन करना होगा और NFFU प्रदान करना होगा।
  - संरचनात्मक बदलावों के बिना IPS नियुक्तियों को जारी रखना प्रशासनिक रूप से असंगत और कानूनी रूप से संदिग्ध है।
- प्राकृतिक न्याय और समानता का उल्लंघन: अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर) लागू होते हैं, क्योंकि CAPF कैडर अधिकारियों को IPS अधिकारियों की तुलना में समान पदोन्नति अवसर नहीं मिलते।

नीतिगत सिफारिशें

- कैडर समीक्षा और संरचनात्मक सुधार: सभी CAPFs की व्यापक कैडर समीक्षा करें और भर्ती नियमों को पुनर्गठित करें ताकि आंतरिक पदोन्नति को प्राथमिकता दी जा सके।
- पारदर्शी पदोन्नति नीतियां: सभी बलों में CAPF अधिकारियों के लिए स्पष्ट, समयबद्ध और एकरूप पदोन्नति मानदंड स्थापित करें।
- CAPF अधिकारियों के लिए समर्पित नेतृत्व प्रशिक्षण: CAPF अधिकारियों को नेतृत्व भूमिकाओं के लिए तैयार करने हेतु मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रमों (जैसे LBSNAA या NPA) को संस्थागत रूप दें।
  - केंद्र-राज्य समन्वय भूमिकाओं में क्रॉस-पोस्टिंग और अनुभव को प्रोत्साहित करें ताकि CAPFs में व्यापक प्रशासनिक क्षमता विकसित हो सके।
- संसदीय निगरानी और नीति सुधार: CAPF कैडर नीति सुधार को संसदीय निगरानी या स्थायी समिति के अधीन लाएं।
  - CAPFs को पेशेवर बनाने और प्रतिनियुक्ति पर निर्भरता कम करने की भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा तैयार करें।

Source: TH

UGC की एंटी-रैगिंग प्रणाली पूरी तरह विफल: दिल्ली उच्च न्यायालय

संदर्भ

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने संकेत दिया है कि वह हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थानों में बढ़ती रैगिंग की घटनाओं और छात्रों की मृत्यु को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका (PIL) शुरू कर सकता है।
  - यह घटनाक्रम तब सामने आया जब इस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान यूजीसी (UGC) नियमों पर चिंता व्यक्त की।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी – 2025

- सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि यूजीसी की एंटी-रैगिंग नियमावली अधिकांशतः केवल कागज़ों तक सीमित है।
- संस्थान केवल औपचारिकताएं निभाते हैं — जैसे हलफनामे और पोस्टर — लेकिन वास्तविक कार्रवाई नहीं होती।
- न्यायालय ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन का निर्देश दिया।

भारत में रैगिंग

- 2022 की राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) रिपोर्ट के अनुसार: छात्रों ने भारत में आत्महत्या से होने वाली कुल मृत्युओं में 7.6% — अर्थात् 13,044 — का योगदान दिया, जो किसानों और कृषि श्रमिकों की संयुक्त संख्या से अधिक है।
- कुल छात्र मृत्युओं में से 13.5% महाराष्ट्र में, 10.9% तमिलनाडु में, 10.3% मध्य प्रदेश में और 8.1% उत्तर प्रदेश में दर्ज की गईं।

रैगिंग रोकने के लिए सरकार के कदम

- विशेष निर्णय: 2001 में विश्व जागृति मिशन बनाम भारत सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने रैगिंग को दंडनीय अपराध घोषित किया और सख्त संस्थागत उपायों को अनिवार्य किया।
- राघवन समिति (2007): सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति ने रैगिंग को भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत दंडनीय अपराध मानने की सिफारिश की।

- *सर्वोच्च न्यायालय दिशानिर्देश (2009):*
  - **एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन:** एक टोल-फ्री हेल्पलाइन या कॉल सेंटर की स्थापना।
  - **नियमावली:** यूजीसी को उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने के लिए नियम बनाने का निर्देश।
  - **समिति गठन:** यूजीसी को एंटी-रैगिंग समिति और दस्ते गठित करने का आदेश।
- राष्ट्रीय रैगिंग रोकथाम कार्यक्रम (NRPP):
  - 24x7 समर्पित छात्र हेल्पलाइन
  - जागरूकता के लिए अनिवार्य ऑनलाइन हलफनामे
  - गैर-अनुपालन संस्थानों को चिन्हित करने की प्रणाली
  - स्वतंत्र निगरानी के लिए गैर-सरकारी एजेंसी
  - यूजीसी को गैर-अनुपालन संस्थानों से फंड वापस लेने की अनुमति
- **NGO की भूमिका:** शिक्षा में हिंसा के विरुद्ध समाज (SAVE) जैसे संगठन सक्रिय रूप से मामलों की निगरानी करते हैं और संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं।

रैगिंग के बने रहने के कारण

- गहराई से जड़ें जमा चुकी मानसिकता: रैगिंग को प्रायः "राइट ऑफ पैसेज" या "परिचय अनुष्ठान" माना जाता है।
- कठोर कार्यान्वयन की कमी: सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश 15 वर्ष पहले जारी हुए थे, लेकिन वे अधिकांशतः कागज़ों तक सीमित हैं।
- यूजीसी नियमों का कमजोर क्रियान्वयन: संस्थान प्रायः शिकायतों को दबा देते हैं ताकि प्रतिष्ठा को हानि न पहुंचे।
- अधिकारों और जागरूकता की कमी: नए छात्रों को अपने अधिकारों और शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी नहीं होती।
- गैर-जवाबदेह प्रणाली: पीड़ितों को प्रायः असंगठित और अपारदर्शी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है।
- संस्थागत निष्क्रियता: एंटी-रैगिंग दस्तों और औचक निरीक्षणों के बावजूद, यूजीसी द्वारा की गई कार्रवाइयों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता।
- कम अनुपालन: यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार छात्रों को प्रत्येक वर्ष एंटी-रैगिंग हलफनामे जमा करने होते हैं, लेकिन RTI डेटा के अनुसार विगत दशक में केवल 4.49% छात्रों ने ऐसा किया।

आगे की राह

- दिशानिर्देशों का सख्त पालन: अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय और यूजीसी के नियमों को पूरी तरह लागू करना चाहिए तथा संस्थानों को चूक के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए।
- तकनीक आधारित समाधान: रैगिंग की घटनाओं को रोकने के लिए परिसरों में CCTV निगरानी का विस्तार करें।
- सुरक्षित ऑनलाइन पोर्टल: पीड़ितों द्वारा गुमनाम शिकायत दर्ज करने के लिए सुरक्षित पोर्टल और आईडी-आधारित डैशबोर्ड विकसित करें।
- कानूनी स्पष्टता: कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है ताकि अपराधियों को सख्त दंड दिया जा सके, जिसमें शिकायतों की अनदेखी करने वाले संकाय या प्रबंधन भी शामिल हों।

Source: TH

'सामान्य निवासी' के रूप में कौन योग्य है?

संदर्भ

- बिहार में चुनाव आयोग द्वारा की जा रही *विशेष गहन पुनरीक्षण (विशेष गहन पुनरीक्षण- SIR)* प्रक्रिया ने प्रवासी श्रमिकों की *'सामान्य निवासी'* के रूप में मतदाता पंजीकरण की पात्रता को लेकर परिचर्चा को पुनः शुरू कर दिया है।

'सामान्य निवासी' कौन होता है?

- "सामान्य निवासी" शब्द की परिभाषा *जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act - RP Act)* की धारा 19 और 20 के अंतर्गत दी गई है।

- *धारा 19* के अनुसार, किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल होने के लिए उस क्षेत्र का सामान्य निवासी होना आवश्यक है।
- *धारा 20* स्पष्ट करती है कि केवल किसी घर का स्वामित्व या कब्जा होना सामान्य निवासी होने की पुष्टि नहीं करता।
  - यदि कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से अपने निवास स्थान से अनुपस्थित है, तो उसे फिर भी उसी स्थान का सामान्य निवासी माना जाएगा।
  - कुछ विशेष श्रेणियों के व्यक्ति (जैसे सशस्त्र बलों के सदस्य, विदेश में तैनात सरकारी अधिकारी, संवैधानिक पदाधिकारी) को उनके गृह निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी माना जाता है, भले ही वे शारीरिक रूप से वहां उपस्थित न हों।
- पंजीकरण नियम, 1960 (Registration of Electors Rules - RER) **RP Act** के अंतर्गत बनाए गए हैं, जो मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं।
  - इन नियमों को *निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (Electoral Registration Officers)* लागू करते हैं और "सामान्य निवासी" शब्द के प्रयोग की निगरानी करते हैं।
- गौहाटी उच्च न्यायालय **ने** मनमोहन सिंह बनाम भारत सरकार (1999) मामले में कहा कि "सामान्य निवासी" का अर्थ उस स्थान का नियमित निवासी होना है।
  - यह निवास स्थायी प्रकृति का होना चाहिए, अस्थायी या आकस्मिक नहीं। व्यक्ति को उस स्थान पर स्थायी रूप से रहने का प्रयोजन होना चाहिए।

प्रवासी श्रमिकों के लिए चुनौतियाँ

- भारत में एक बड़ा प्रवासी श्रमिक वर्ग है, विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे गरीब राज्यों से।
- *आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (2020-21)* के अनुसार, लगभग 11% भारतीय रोजगार के लिए प्रवास करते हैं, जो 15 करोड़ से अधिक लोगों की संख्या है। *प्रमुख समस्याएं:*
  - प्रवास की अस्थायी प्रकृति: अधिकांश श्रमिक अल्पकालिक कार्य के लिए प्रवास करते हैं और स्थायी पते के बिना अस्थायी घरों या कार्यस्थल शिविरों में रहते हैं।
  - मतदाता पहचान और पंजीकरण की कमी: कई प्रवासी कार्यस्थल पर मतदाता के रूप में पंजीकरण नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं होते या वे बार-बार स्थान बदलते हैं।
  - मतदाता पंजीकरण स्थान बदलने में अनिच्छा: प्रवासियों के अपने मूल गांव या कस्बों से सामाजिक और आर्थिक संबंध अधिक सुदृढ़ होते हैं। वे वहीं मतदान करना पसंद करते हैं जहाँ उनका परिवार और संपत्ति होती है।
  - मताधिकार से वंचित होने का खतरा: यदि मूल निर्वाचन क्षेत्र से नाम हटा दिया जाए और नए कार्यस्थल पर पंजीकरण न हो, तो कई लोग पूरी तरह से मताधिकार से वंचित हो सकते हैं।

आगे की राह

- RP Act और RER में संशोधन: प्रवासी श्रमिकों के लिए सेवा मतदाताओं और प्रवासी भारतीयों (NRIs) की तरह विशेष प्रावधान लाए जाएं।
- द्वैध दस्तावेजीकरण की अनुमति: प्रवासी व्यक्ति अपने मूल स्थान का निवास प्रमाण बनाए रख सकें, भले ही वे अस्थायी रूप से अन्यत्र रह रहे हों।
- तकनीक का उपयोग: आधार से जुड़े मतदाता सूची का प्रयोग करें ताकि:
  - *एक व्यक्ति, एक वोट* सुनिश्चित हो (एकाधिक पंजीकरण रोका जा सके),
  - विभिन्न स्थानों पर मताधिकार का सहज हस्तांतरण संभव हो। *वैकल्पिक मतदान तंत्र:*
  - प्रवासियों के लिए *डाक मतपत्र* विकल्प,
  - प्रमुख कार्यस्थलों पर *मोबाइल मतदान केंद्र*,
  - चुनाव आयोग द्वारा परीक्षण किए गए *दूरस्थ मतदान तकनीक* जैसे उपायों पर विचार करें।

Source: TH

हरित क्रांति: इसकी विरासत और कृषि अनुसंधान एवं विकास में भारत की रणनीतिक भूमिका

संदर्भ

- भारत एक ऐतिहासिक अवसर और जिम्मेदारी दोनों का सामना कर रहा है — उन क्षेत्रों का ऋण चुकाने का जिन्होंने भारत की खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया, और कृषि को एक सतत भविष्य के लिए पुनः परिभाषित करने का।

हरित क्रांति के बारे में

- 'हरित क्रांति' शब्द को 1968 में संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (USAID) के प्रशासक विलियम एस. गॉड ने गढ़ा था।
- इसने एक अकालग्रस्त राष्ट्र को खाद्य-सुरक्षित देश में बदल दिया, अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाई और लाखों किसानों को सशक्त किया।
- भारत में हरित क्रांति ने पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लाभ पहुंचाया, जहाँ उच्च उपज वाली चावल और गेहूं की किस्मों, सिंचाई विस्तार और रासायनिक इनपुट पर ध्यान केंद्रित किया गया।

भारत की कृषि उपलब्धियाँ

- भारत की हरित क्रांति को अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र (CIMMYT) और IRRI के जर्मप्लाज्म ने गति दी।
  - कल्याण सोना और सोनालिका (1967–68) जैसी किस्में CIMMYT की प्रजनन लाइनों से आईं।
- बाद में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) जैसे संस्थानों ने देशी किस्में विकसित कीं, जिससे उपज 7 टन/हेक्टेयर तक पहुंची।
- चावल में, IARI और क्षेत्रीय संस्थानों ने स्वर्ण (1982), सांबा महसूरी(1986), और पूसा बासमती 1121 (2003) जैसी प्रतिष्ठित किस्में जारी कीं।
- 2024–25 में भारत ने 6.1 मिलियन टन बासमती चावल का निर्यात किया, जिसकी कीमत $5.94 बिलियन थी — जिसमें से 90% से अधिक IARI द्वारा विकसित किस्मों से था।

Indian Scientists Behind Global Success

M.S. Swaminathan, Key architect of India's Green Revolution.

V.S. Mathur, B.S. Malik, Rajbir Yadav HD Wheat series

E.A. Siddiq, V.P. Singh, and A.K.Singh Basmati Breeding

Gurdev Singh Khush, IRRI's chief breeder behind IR 36 and IR 64.

Sanjaya Rajaram, Borlaug's successor at CIMMYT, bred India's top wheat varieties in the 1990s

क्या आप जानते हैं?

- CIMMYT ने लेर्मा रोजो 64ए, सोनोरा 63, और Mayo 64 जैसी अर्ध-बौनी गेहूं किस्में विकसित कीं, जिन्हें भारत में 1964–65 में प्रथम बार प्रस्तुत किया गया।
- CIMMYT को USAID द्वारा भारी वित्त पोषण मिला और यह नॉर्मन बोरलॉग से निकटता से जुड़ा था।
  - 2024 में USAID ने अपने $211 मिलियन अनुदान राजस्व में से $83 मिलियन CIMMYT को प्रदान किए।
  - ट्रंप प्रशासन द्वारा USAID को बंद किए जाने से CIMMYT ने एक प्रमुख फंडर खो दिया।
- नॉर्मन बोरलॉग के गेहूं ने भारतीय किसानों को 1–1.5 टन/हेक्टेयर से बढ़ाकर 4–4.5 टन/हेक्टेयर तक उपज प्राप्त करने में सहायता की।
- IRRI की चावल किस्मों ने उपज को 1–3 टन से बढ़ाकर 4.5–10 टन/हेक्टेयर तक पहुंचाया और फसल अवधि को घटाकर 110–130 दिन कर दिया।

हरित क्रांति: विरासत और इसकी लागत

- वैश्विक अनुसंधान पर निरंतर निर्भरता: 2024–25 में भारत में बोई गई 20 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर शीर्ष 10 गेहूं किस्मों में से 6 सीधे CIMMYT सामग्री से प्राप्त थीं।
  - HD 2967 एकमात्र प्रमुख हालिया देशी किस्म बनी हुई है।
- जबकि उत्तरी राज्यों ने प्रगति की, पूर्वी और मध्य भारत जैसे अन्य क्षेत्र पिछड़े रह गए। गेहूं और चावल पर अत्यधिक ध्यान, खरीद, सब्सिडी और सिंचाई ने निम्नलिखित समस्याएं पैदा कीं:
  - मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी और जल स्तर का पतन
  - फसल विविधीकरण में बाधा और पारिस्थितिक असंतुलन
  - इनपुट-गहन एकल फसलों पर किसानों की निर्भरता

असंतुलन को दूर करने के लिए नीतिगत उपाय

- विकेंद्रीकृत खरीद: गेहूं और चावल से आगे बढ़कर दालें, मोटे अनाज एवं तिलहन की खरीद को मध्य भारत और पूर्वोत्तर जैसे कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों तक विस्तारित करना।
- कृषि पारिस्थितिकी में परिवर्तन: राज्यों को पुनर्योजी कृषि पद्धतियों अपनाने और रासायनिक निर्भरता कम करने में सहायता देना।
- जल-स्मार्ट खेती: स्थानीय जलवायु और जल उपलब्धता के अनुसार फसलों को प्रोत्साहित करना, बजाय एकरूप विकल्प थोपने के।
- आय विविधीकरण: कृषि प्रसंस्करण, किसान सहकारी समितियों और ग्रामीण ऋण तक पहुंच को बढ़ावा देना ताकि किसानों को वैकल्पिक आय स्रोत मिल सकें।
- क्षेत्रीय समानता: दालों, तिलहनों और मोटे अनाज की खरीद नीतियों को विविध बनाना ताकि कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों को शामिल किया जा सके।

भारत की अवसर और जिम्मेदारी

- अपनी उपलब्धियों के बावजूद, भारत ने 2024 में CIMMYT को केवल $0.8 मिलियन और IRRI को $18.3 मिलियन का योगदान दिया।
- ICAR के पूर्व महानिदेशक राजेंद्र सिंह परोड़ा के अनुसार, भारत को निम्नलिखित क्षेत्रों में रणनीतिक और सहयोगात्मक अनुसंधान को वित्तपोषित करना चाहिए:
  - गर्मी और सूखा सहनशीलता
  - नाइट्रोजन उपयोग दक्षता
  - जीन संपादन
- प्रजनन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता हाल की पहलें जैसे *अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मोटे अनाज का*, *पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना*, और *पुनर्योजी खेती को बढ़ावा देना* उत्साहजनक संकेत हैं — लेकिन पैमाना और ईमानदारी महत्वपूर्ण हैं।

Source: IE

GST सुधार: गृह मंत्री दरों को युक्तिसंगत बनाने पर सामान्य सहमति के लिए वार्ता शुरू करेंगे

संदर्भ

- केंद्रीय गृह मंत्री वस्तु एवं सेवा कर (GST) संरचना में लंबे समय से लंबित सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए राज्यों और प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के साथ परामर्श का नेतृत्व करेंगे।

परिचय

- **पूर्व चर्चाएं:** 2024 में मंत्री समूह ने व्यापक चर्चा के बावजूद 12% स्लैब को बनाए रखा, जिसे सरलीकरण के लक्ष्यों के विपरीत माना गया।
  - **55वीं GST परिषद बैठक**: स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम (वर्तमान में 18%) पर GST कम करने का निर्णय टाल दिया गया।
  - दो विपक्षी राज्यों ने इसे 5% करने की मांग की।
  - 148 वस्तुओं पर GST दरों में बदलाव का प्रस्ताव आगे अध्ययन के लिए स्थगित किया गया।
- **राजस्व वितरण (2023–24)**
  - 18% स्लैब: जीएसटी राजस्व का 70-75%।
  - 12% स्लैब: 5-6%।
  - 5% स्लैब: 6-8%।
  - 28% स्लैब: 13-15%।

वस्तु एवं सेवा कर (GST)

- GST को 2017 में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के अंतर्गत पूरे देश के लिए एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर के रूप में लागू किया गया।
- यह **उपभोग आधारित कर** है, जो निर्माण से लेकर अंतिम उपभोग तक सभी चरणों पर लगाया जाता है।
- केवल मूल्यवर्धन पर कर लगाया जाता है और कर का बोझ अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाता है।
- यह उस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश को प्राप्त होता है जहां उपभोग होता है।
- **GST के प्रकार**
  - **केंद्रीय GST (CGST)**: केंद्र द्वारा लगाया गया।
  - **राज्य/केंद्रशासित प्रदेश GST (SGST/UTGST)**: राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लगाया गया।
  - **एकीकृत GST (IGST)**: अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया गया।
    - केंद्र IGST का SGST/UTGST हिस्सा उपभोग राज्य को स्थानांतरित करता है।
- **GST दरें:** चार स्लैब: 5%, 12%, 18%, और 28%।
  - दैनिक आवश्यकताओं और विलासिता वस्तुओं के लिए अलग-अलग दरें।
- 28% स्लैब पर विलासिता, पाप और अवगुण वस्तुओं पर उपकर लगाया जाता है।
  - उपकर संग्रह एक अलग कोष "मुआवजा निधि" में जाता है, जिससे राज्यों को GST से हुए राजस्व नुकसान की भरपाई की जाती है।
- **GST परिषद** संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित एक संघीय निकाय।
  - अध्यक्ष: केंद्रीय वित्त मंत्री;
  - सदस्य: सभी राज्यों के वित्त मंत्री।
  - परिषद GST से संबंधित लगभग सभी निर्णय **सर्वसम्मति** से लेती है।
- **अपवर्जित वस्तुएं:** मानव उपभोग हेतु शराब और पाँच पेट्रोलियम उत्पादों पर GST लागू नहीं होता: कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल, प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाइन ईंधन।

दरों का पुनर्गठन

- **प्रस्ताव:** 12% स्लैब को समाप्त कर तीन-दर संरचना की ओर बढ़ना।
  - 12% स्लैब में शामिल वस्तुएं: पैक्ड खाद्य (जैसे गाढ़ा दूध, फलों के रस), घरेलू वस्तुएं (फर्नीचर, सिलाई मशीन), चिकित्सा सामग्री (जांच किट, पट्टियां)।
  - इन्हें या तो 5% (मूलभूत वस्तुएं) या 18% (राजस्व उत्पन्न करने वाली वस्तुएं) में स्थानांतरित किया जाएगा।
- **उद्देश्य:** GST संरचना को सरल बनाना।
  - वर्गीकरण विवादों को कम करना।
  - उल्टे शुल्क संरचनाओं को ठीक करना।
- **चुनौतियाँ:** 12% स्लैब हटाने पर ₹70,000–₹80,000 करोड़ का अनुमानित राजस्व हानि।
  - राज्यों की ओर से राजस्व हानि और कर भार बदलाव को लेकर कड़ा विरोध।

अन्य प्रस्तावित सुधार

- **GST आधार का विस्तार**: पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली और रियल एस्टेट को शामिल करना।
- **कर अनुपालन और तकनीक का उपयोग**: ई-इनवॉइसिंग, ई-वे बिल, GSTN को मजबूत करना।
- **AI और डेटा एनालिटिक्स** का उपयोग कर कर चोरी और फर्जी इनवॉइस की पहचान।
- **इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) प्रणाली का सरलीकरण**: समय पर और निर्बाध ITC प्रवाह सुनिश्चित करना।
- **GST परिषद और सहकारी संघवाद को मजबूत करना**: पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना।

आगे की राह

- तीन-दर GST संरचना अभी विचाराधीन है।
- दर पुनर्गठन पर मंत्री समूह ने 148 वस्तुओं पर दरों में बदलाव के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अधिक समय मांगा है।

- GST का भविष्य दरों को कम करने के साथ-साथ कानून को सरल बनाने, अनुपालन को आसान बनाने और अधिक करदाताओं को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाने पर केंद्रित है, ताकि पूरी प्रणाली **ऑटो-पायलट मोड** पर चल सके।

Source: IE

पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 78% कोयला संयंत्रों को FGD सिस्टम लगाने से छूट

संदर्भ

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने भारत के लगभग **78% ताप विद्युत संयंत्रों (TPPs)** को फ्लू गैस डी-सल्फराइजेशन (FGD) प्रणाली स्थापित करने से **छूट** दे दी है।

फ्लू गैस डी-सल्फराइजेशन (FGD) क्या है?

- **FGD प्रणाली** कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में **निकास गैसों से SO_2 हटाने** के लिए उपयोग की जाती है।
- **प्रक्रिया**: सबसे सामान्य विधि में वेट स्क्रबर का उपयोग होता है, जो चूना पत्थर के घोल से SO_2 को **जिप्सम** में परिवर्तित करता है।
- **उद्देश्य**: अम्लीय वर्षा को कम करना, द्वितीयक कण पदार्थ को घटाना, और वायु गुणवत्ता में सुधार करना।

ताप विद्युत संयंत्रों की श्रेणियाँ

- **श्रेणी A:** इसमें भारत की 600 TPP इकाइयों का लगभग 11% शामिल है और इन्हें 30 दिसंबर, 2027 तक अनिवार्य रूप से FGD प्रणालियाँ स्थापित करनी होंगी।
  - ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं या कम से कम दस लाख (2011 की जनगणना) की जनसंख्या वाले शहर हैं।
- **श्रेणी B:** इसमें अन्य 11% TPP इकाइयाँ शामिल हैं और ये गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों (CPA) या गैर-प्राप्ति शहरों (NAC) के पास स्थित हैं।
  - FGD की स्थापना विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) के अनुमोदन के अधीन है।
  - **समय सीमा:** 30 दिसंबर, 2028, यदि आवश्यक हो।
- **श्रेणी C:** इसमें शेष 78% TPP इकाइयाँ शामिल हैं। इन्हें FGD प्रणालियाँ स्थापित करने से पूरी तरह छूट प्राप्त है और ये अधिकतर प्रदूषण हॉटस्पॉट से बाहर के क्षेत्रों में स्थित हैं।

अंतरराष्ट्रीय उदाहरण

- **चीन और अमेरिका** जैसे देशों ने कोयला आधारित संयंत्रों में FGD को **अनिवार्य** किया है।
- चीन ने **95% से अधिक SO_2 हटाने की दक्षता** हासिल की है।

चिंताएँ

- **स्वास्थ्य प्रभाव**: SO_2, PM2.5 का पूर्ववर्ती है जो फेफड़ों और रक्तप्रवाह में प्रवेश कर सकता है।
  - दीर्घकालिक संपर्क से **दमा, हृदय रोग**, और **अकाल मृत्यु** का खतरा।
  - *लैंसेट आयोग(2022)* के अनुसार, भारत में **प्रदूषण से जुड़ी मृत्युएँ 2.3 मिलियन से अधिक** थीं।
- **प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत का उल्लंघन**: FGD से छूट देना इस सिद्धांत के विरुद्ध है कि प्रदूषण करने वाले को ही उसकी भरपाई करनी चाहिए।
- **प्रदूषण लक्ष्य कमजोर**: यह निर्णय भारत के **स्वच्छ वायु कार्यक्रम** और **COP26 प्रतिबद्धताओं** को कमजोर करता है।
- **वायु प्रदूषण का फैलाव**: कोयला संयंत्रों से उत्सर्जन **200 किमी तक फैल सकता है**।
  - ऊँची चिमनियाँ प्रदूषण को समाप्त नहीं करतीं, बल्कि उसे **विस्तृत क्षेत्रों में फैलाती हैं**, जिससे ग्रामीण और पड़ोसी राज्य प्रभावित होते हैं।

आगे की राह

- **स्वास्थ्य लागत का आंतरिककरण**: *स्वास्थ्य प्रभाव आकलन (HIA)* जैसे मॉडल अपनाएं ताकि चिकित्सा खर्च, उत्पादकता हानि और मृत्यु दर को ध्यान में रखा जा सके।

- **नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण**: कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए **सौर, पवन और बायोमास** जैसे स्वच्छ स्रोतों को बढ़ावा दें।
- **सभी श्रेणियों के लिए प्रदूषण नियंत्रण अनिवार्य करें**: प्रदूषण प्रशासनिक श्रेणियों से सीमित नहीं होता, इसलिए **समान उत्सर्जन मानदंड** लागू किए जाएं।
- **FGD स्थापना क्षमता का निर्माण**: *मेक इन इंडिया* पहल के अंतर्गत FGD निर्माण और तैनाती के लिए **स्वदेशी क्षमता** विकसित करें।
- **जनता को जानकारी और निगरानी**: SO_2, PM2.5 और अन्य प्रदूषकों के **रियल-टाइम डेटा** को सार्वजनिक किया जाए ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो।

निष्कर्ष

- प्रदूषण की सीमापार प्रकृति और वायु-प्रदूषण जनित बीमारियों के बढ़ते भार को देखते हुए, भारत को **विज्ञान-आधारित, स्वास्थ्य-केंद्रित और न्यायसंगत प्रदूषण नियंत्रण नीति** अपनानी चाहिए।
- पर्यावरणीय शासन को **सक्रिय, पारदर्शी** और संविधान के अनुच्छेद 21 तथा भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताओं के अनुरूप होना चाहिए।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

राज्यसभा के लिए नामांकन

समाचार में

- भारत के राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए चार नए व्यक्तियों को **नामित सदस्य** के रूप में नियुक्त किया है।
  - यह नामांकन **प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद** की सिफारिश पर किया गया।

राज्यसभा में नामांकन के बारे में

- **संविधान का अनुच्छेद 80:** राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्यों में से **12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित** किए जाते हैं।
  - नामित सदस्य वे होते हैं जिनके पास **साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा** जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होता है।
- **उद्देश्य:** यह नामांकन प्रणाली सुनिश्चित करती है कि राज्यसभा को उन **प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों की अंतर्दृष्टि** प्राप्त हो जो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, लेकिन **राष्ट्रीय विमर्श में महत्वपूर्ण योगदान** दे सकते हैं।
- **कार्यकाल:** नामित सदस्य **छह वर्ष** का कार्यकाल पूरा करते हैं, जो निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल के समान होता है।
- **अधिकार और शक्तियाँ:** नामित सदस्यों को अन्य राज्यसभा सदस्यों के समान अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन वे **भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते**।

Source: TH

जारवा जनजाति

संदर्भ

- आगामी **2027 की जनगणना** में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की **छह प्रमुख आदिवासी जनजातियों**, जिनमें **जारवा जनजाति** भी शामिल है, की गणना के प्रयास किए जाएंगे।

जारवा जनजाति

- **जारवा जनजाति** विश्व की सबसे पुरानी जीवित आदिवासी समुदायों में से एक है।
- ये पारंपरिक रूप से **मध्य और दक्षिण अंडमान द्वीपों** के घने जंगलों में **घुमंतू शिकारी-संग्राहक** के रूप में जीवन जीते रहे हैं।
- ऐतिहासिक रूप से ये बाहरी लोगों के प्रति **शत्रुतापूर्ण** रहे हैं और **1990 के दशक के अंत तक संपर्क का विरोध** करते रहे।
- ये आमतौर पर **40–50 लोगों के छोटे समूहों** में रहते हैं और **वन एवं समुद्री संसाधनों** पर निर्भर करते हैं।

जनगणना आंकड़े और जनसंख्या अनुमान

- **2011 की जनगणना** में जारवा जनजाति की संख्या **380** दर्ज की गई थी, जबकि अंडमान और निकोबार

द्वीप समूह में कुल **28,530 अनुसूचित जनजाति** की जनसंख्या थी।

- क्षेत्र की अन्य अनुसूचित जनजातियाँ हैं: **अंडमानी, निकोबारी, शोम्पेन, ओन्गे और सेंटिनेली**।
  - **निकोबारी को छोड़कर सभी जनजातियाँ** को **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs)** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **2025 के नवीनतम आधिकारिक अनुमान** के अनुसार, जारवा जनसंख्या बढ़कर **647** हो गई है, जो **स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और मृत्यु दर में कमी** को दर्शाता है।
- **PM-JANMAN योजना** (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) के तहत अब तक द्वीपों में **191 PVTG व्यक्तियों** की पहचान की गई है।

Source: TH

विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB)

संदर्भ

- विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) ने हाल ही में अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान दुर्घटना, जिसमें 260 लोगों की मृत्यु हुई, की जांच पर आधारित 15-पृष्ठीय प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है।

AAIB क्या है?

- विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है।
- यह देश में नागरिक विमानन दुर्घटनाओं और गंभीर घटनाओं की जांच के लिए उत्तरदायी है।
- विमान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) नियम, 2017 के नियम 3 के अंतर्गत इसका एकमात्र उद्देश्य भविष्य की दुर्घटनाओं और घटनाओं को रोकना है — न कि दोष या उत्तरदायित्व तय करना।
- AAIB को सभी संबंधित साक्ष्यों तक बिना किसी न्यायिक या अन्य सरकारी अनुमति के पूर्ण पहुंच प्राप्त होती है।

क्या आप जानते हैं?

- अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन सुरक्षा से जुड़े मामलों को अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन सम्मेलन (शिकागो सम्मेलन, 1944) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन (ICAO), जो संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है और जिसके 193 सदस्य देश हैं (भारत सहित), वैश्विक विमानन सुरक्षा के लिए तकनीकी मानकों की निगरानी करता है।
- शिकागो सम्मेलन का अनुबंध 13 विमान दुर्घटनाओं की जांच के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल को विस्तार से बताता है।
- यह अनिवार्य करता है कि जिस देश में दुर्घटना हुई है — यानी 'दुर्घटना का स्थान' — वही जांच का नेतृत्व करेगा, जबकि विमान से जुड़े अन्य देश (जैसे पंजीकरण का देश या निर्माण का देश) को जांच में भाग लेने का अधिकार होगा।

Source: IE

प्राकृतिक रबर उत्पादन

संदर्भ

- विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि भारत में प्राकृतिक रबर (NR) की खपत 2030 तक 20 लाख टन तक पहुँच सकती है। यह बढ़ती मांग को पूरा करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू उत्पादन को तेज़ी से बढ़ाने की आवश्यकता को दर्शाता है।

भारत में प्राकृतिक रबर की स्थिति

- प्राकृतिक रबर हेविया ब्रासीलिएन्सिस (Hevea brasiliensis) नामक वृक्ष के लेटेक्स से प्राप्त होता है, जो अमेज़न बेसिन का मूल निवासी है।
- वित्त वर्ष 2024–25 (FY25) में भारत का घरेलू उत्पादन 8.7 लाख टन रहा।
- इसी अवधि में घरेलू खपत 14.1 लाख टन तक पहुँच गई।
- भारत वर्तमान में चीन के बाद प्राकृतिक रबर का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।

- हालांकि, यह वैश्विक स्तर पर छठा सबसे बड़ा उत्पादक है, जिससे खपत और उत्पादन के बीच महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट होता है।

रबर उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

- **NE-MITRA परियोजना (एकीकृत प्रौद्योगिकी और रबर उन्नति के लिए पूर्वोत्तर मिशन):**
  - इसका उद्देश्य रबर उत्पादन बढ़ाना और आत्मनिर्भरता हासिल करना है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो सके।
- INROAD परियोजना (सहायता प्राप्त विकास के लिए भारतीय प्राकृतिक रबर परिचालन):
  - यह परियोजना ATMA (ऑटोमोटिव टायर निर्माता संघ) द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा भारतीय रबर बोर्ड के सहयोग से शुरू की गई है।
  - इसका उद्देश्य आपूर्ति अंतर को दूर करना है।

प्राकृतिक रबर का महत्व

- **टायर उद्योग:**
  - प्राकृतिक रबर की 70% से अधिक खपत टायर उद्योग में होती है।
  - यह ऑटोमोबाइल, विमानन और रक्षा क्षेत्रों के लिए अत्यंत आवश्यक है।
- **रोजगार:**
  - यह लगभग 13 लाख छोटे और सीमांत किसानों को आजीविका प्रदान करता है, विशेष रूप से केरल, त्रिपुरा और पूर्वोत्तर राज्यों में।
- **राष्ट्रीय लचीलापन:**
  - आयातित रबर और तैयार टायरों पर निर्भरता कम करने से आर्थिक सुरक्षा बढ़ती है।

रबर उत्पादन के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ

- **जलवायु:** 25-35°C के बीच तापमान के साथ गर्म और आर्द्र परिस्थितियाँ।
- **वर्षा:** 1,800-2,500 मिमी के बीच वार्षिक वर्षा।
- **मृदा का प्रकार:** गहरी, अच्छी जल निकासी वाली दोमट या लैटेराइट मृदा जिसमें अच्छी जल धारण क्षमता हो।
- **ऊँचाई:** सामान्यतः समुद्र तल से 300 मीटर ऊपर उगाया जाता है।

भारत में रबर उत्पादन

- **केरल:**
  - भारत में रबर उत्पादन में 70% से अधिक योगदान देने वाला प्रमुख राज्य।
- **अन्य राज्य:**
  - तमिलनाडु, कर्नाटक, त्रिपुरा और असम

Source: TH

अभ्यास टैलिसमैन सेबर

संदर्भ

- भारत ने ऑस्ट्रेलिया के **सबसे बड़े द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास** — **अभ्यास टैलिसमैन सेबर** — में प्रथम बार भाग लिया है।

अभ्यास के बारे में

- **टैलिसमैन सेबर** की शुरुआत **2005** में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक **द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास** के रूप में हुई थी।
- इस वर्ष, **19 देशों** के **35,000 से अधिक सैन्य कर्मी** तीन सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं।
- भाग लेने वाले देशों में शामिल हैं: **कनाडा, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, टोंगा और यूनाइटेड किंगडम।**
- **मलेशिया और वियतनाम** इस अभ्यास में **पर्यवेक्षक** के रूप में उपस्थित हैं।

Source: TH